



दिनांक 21.05.2023

प्रेस विज्ञप्ति 22 / 2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मथुरा/थाना जैत

- पुलिस कार्यवाही में 01 लाख 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 01 मोटर साइकिल
- 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 07 जीवित 04 खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 21.05.2023 को थाना जैत व थाना रिबाडीड की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राल रोड पेलखु मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो मोटर साइकिल सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रोहतास घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 07 जीवित 04 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद मथुरा व राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 31 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद मथुरा व राजस्थान से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जोन स्तर से 01 लाख रुपये व राजस्थान प्रान्त से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जैत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-रोहतास निवासी परखम गुर्जर थाना जैत जनपद मथुरा।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 07 जीवित 04 खोखा कारतूस।

जनपद सहारनपुर/थाना सरसावा

- पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

- चोरी की चाँदी के आभूषण

- चोरी की 01 मोटर साइकिल

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 20.05.2023 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शहाजांपुर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो मोटर साइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मीरहसन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की चाँदी के आभूषण, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद सहारनपुर व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 41 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना फतेहपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सरसावा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मीरहसन निवासी ग्राम लापरा थाना सदर जनपद यमुनानगर हरियाणा।

बरामदगी

1—चोरी की चाँदी के आभूषण।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस।

जनपद रायबरेली/थाना गदागंज

● 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.05.2023 को थाना गदागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महामाया चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सलीम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गदागंज पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गदागंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सलीम निवासी आजादनगर थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली।

जनपद कुशीनगर/थाना सेवरही

● 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.05.2023 को थाना सेवरही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बनरहा रेगुलेटर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विवेक कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेवरही पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेवरही पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विवेक कुमार निवासी महुआवाँ अड्डा थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज।

जनपद इटावा/थाना अपराध शाखा

● 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 20.05.2023 को सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत अपराध शाखा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अम्बेडकर चौराहा के पास पुरस्कार घोषित अभियुक्त जसाराम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जसवन्तनगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जसवन्तनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जसाराम निवासी खीपली खेड़ा थाना मण्डली जनपद बाडमेर राजस्थान।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर-39

● 04 अभियुक्त गिरफ्तार

● 52 हजार 50 रुपये नगद

● 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस

● घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद

दिनांक 21.05.2023 को थाना सेक्टर-39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर-44 रोड से 04 अभियुक्तों 1—राजेश 2—यशपाल 3—विजय 4— अवनीश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 52 हजार 50 रुपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त भीड़ भाड़ वाले चौराहो व अलग-अलग स्थानों से सवारियों को लिफ्ट देकर गाडी में बैठा लेते हैं, तथा गन प्वाइंट पर उनसे नगदी व मोबाइल छीन कर पेटीएम आदि के माध्यम से रुपये निकाल लेते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर-39 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-राजेश निवासी बसई सेक्टर 70 थाना फेस-3 नोएडा।
- 2-यशपाल निवासी बसई सेक्टर 70 थाना फेस-3 नोएडा।
- 3-विजय निवासी मुकीमपुर थाना सलेमपुर बुलन्दशहर, हालपता बसई थाना फेस-3 नोएडा।
- 4-अवनीश कुमार निवासी ग्राम सरसई थाना आमापुर जनपद कासगंज हालपता ग्राम बसई लाल थाना फेस-3 नोएडा।

बरामदगी

- 1-52 हजार 50 रुपये नगद।
- 2-02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।
- 3-घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना रामनगर

- चोरी की घटना का अनावरण
- 10 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 05 लाख 93 हजार 500 रुपये नगद
- चोरी की सोने-चाँदी के आभूषण
- 03 मोबाइल फोन
- 05 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस
- 03 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 20.05.2023 को थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लोधौरा चौराहा के पास से 10 अभियुक्तों 1-राजू 2-गुड्डू उर्फ शंकर 3-अजय 4-रमेश

5—बहादुर 6—मोहर 7—जगदीश 8—राजू 9—शोपाल 10—विजय को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 05 लाख 93 हजार 500 रुपये नगद, चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, 03 मोबाइल फोन, 05 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस, 03 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा विभिन्न स्थानों की रैकी कर रात में छत के रास्ते से घर में प्रवेश कर चोरी की घटना कारित करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपय, आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रामनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—राजू निवासी ग्राम सूतडा थाना डाबी जनपद बूंदी राजस्थान।
- 2—गुड्डू उर्फ शंकर निवासी ग्राम सूतडा थाना डाबी जनपद बूंदी राजस्थान।
- 3—अजय निवासी ग्राम सुहरी थाना दबलाना जनपद बूंदी राजस्थान।
- 4—रमेश निवासी लोर्यादे थाना जालरापाटन जनपद झालावाड़ राजस्थान।
- 5—बहादुर निवासी ग्राम सूतडा थाना डाबी जनपद बूंदी राजस्थान।
- 6—मोहर निवासी ग्राम नाई का तालाब थाना डाबी जनपद बूंदी राजस्थान।
- 7—जगदीश निवासी बजियारी थाना डाबी जनपद बूंदी राजस्थान।
- 8—राजू निवासी चेनचुरिया थाना तालड़ा जनपद बूंदी राजस्थान।
- 9—शोपाल निवासी सूरी थाना डबलाना जनपद बूंदी राजस्थान।
- 10—विजय निवासी बढगांव थाना डबलाना जनपद बूंदी राजस्थान।

बरामदगी

- 1—चोरी के 05 लाख 93 हजार 500 रुपये नगद।
- 2—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।
- 3—03 मोबाइल फोन।
- 4—05 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।
- 5—03 मोटर साइकिल आदि।

जनपद सम्मल/थाना कोतवाली सम्मल

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 05 कार, 03 मोटर साइकिल
- 02 कूट रचित नम्बर प्लेट
- गाड़ी काटने के उपकरण आदि बरामद

दिनांक 21.05.2023 को थाना कोतवाली सम्मल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त फैजान को गिरफ्तार किया गया। तीन अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 कार, 03 मोटर साइकिल, 02 कूट रचित नम्बर प्लेट, गाड़ी काटने के उपकरण आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सम्मल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—फैजान निवासी बड़ी लाडम सराय थाना सम्मल जनपद सम्मल।

बरामदगी

1—चोरी की 05 कार, 03 मोटर साइकिल।

2—02 कूट रचित नम्बर प्लेट।

3—गाड़ी काटने के उपकरण आदि।

जनपद संतकबीरनगर/थाना बखिरा

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- 13 हजार 400 रुपये नगद
- चोरी के 06 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप, 01 टैबलेट, 03 एटीएम कार्ड
- लगभग 08 लाख रुपये कीमत के घरेलू उपयोग के सामान आदि बरामद

दिनांक 21.05.2023 को थाना बखिरा थाना धर्मसिंहवा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम जोगाराजा के पास से अभियुक्त अविनाश

कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 13 हजार 400 रुपये नगद, चोरी के 06 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप, 01 टैबलेट, 03 एटीएम कार्ड, लगभग 08 लाख रुपये कीमत के घरेलू उपयोग के सामान आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के एसबीआई के खाते से हेराफेरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अविनाथ कुमार निवासी भिनखिनी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी

1—13 हजार 400 रुपये नगद।

2—चोरी के 06 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप, 01 टैबलेट, 03 एटीएम कार्ड।

3—लगभग 08 लाख रुपये कीमत के घरेलू उपयोग के सामान आदि।

जनपद सोनभद्र/थाना करमा

● 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 01 करोड़ रुपये कीमत के 09 कुन्तल 81 किलोग्राम अवैध गांजा

● 01 ट्रक बरामद

दिनांक 20.05.2023 को थाना करमा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम टिकुरिया के पास से 02 अभियुक्तों 1—नरेन्द्र 2—सीताराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ रुपये कीमत के 09 कुन्तल 81 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना करमा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—नरेन्द्र निवासी महलपुर थाना रूपवास जनपद भरतपुर राजस्थान।
- 2—सीताराम निवासी कुरडायॉ थाना मेड़ता सिटी जनपद नागौर राजस्थान।

बरामदगी

- 1—लगभग 01 करोड़ रुपये कीमत के 09 कुन्तल 81 किलोग्राम अवैध गांजा।
- 2—01 ट्रक।

➤ जनपद गाजीपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 10 करोड़ रुपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद गाजीपुर पुलिस ने अभियुक्त हरिनारायण सिंह 2—निरंजन प्रसाद द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति (बेनामी) कीमत करीब 10 करोड़ रुपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

एस0टी0एफ0—जनपद बिजनौर से रू0 25,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी अयाज उर्फ एजाज जनपद साऊथ (दिल्ली) से गिरफ्तार।

दिनांक 20-05-2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना नूरपुर जनपद बिजनौर में पंजीकृत मु0अ0सं0 03/2023 धारा 376/384/506 भा0द0वि0 व 3 (2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में वांछित 25 हजार रुपये पुरस्कार घोषित अपराधी अयाज उर्फ एजाज को साऊथ (दिल्ली) से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अयाज उर्फ एजाज पुत्र इलियास निवासी ग्राम—रेहटा बिल्लोज थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय:-

बापू कैम्प थाना— फतेहपुर बेहरी जनपद—साऊथ (दिल्ली) दिनांक: 20.05.2023 समय: 18.57 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनायें कारित करने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिनके अनुपालन में श्री अब्दुल कादिर पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ फील्ड इकाई बरेली के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक मोअज्जम अली खाँ, एसटीएफ फील्ड इकाई बरेली के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये सूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद बिजनौर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी अयाज उर्फ एजाज जनपद साऊथ (दिल्ली) में मौजूद है। इस सूचना पर फील्ड इकाई बरेली की एक टीम द्वारा ज्ञात स्थान पर पहुँचकर अयाज उर्फ एजाज को बापू कैम्प थाना फतेहपुर, बेहरी, जनपद—साऊथ (दिल्ली) से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ पर अभियुक्त अयाज उर्फ एजाज ने बताया कि मेरे ही गाँव की एक महिला द्वारा मेरे विरुद्ध थाना नूरपुर जनपद बिजनौर में पंजीकृत मु0अ0सं0 03/2023 धारा 376/384/506 भा0द0वि0 व 3 (2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। कुछ दिन पश्चात मेरे गिरफ्तारी हेतु रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए बापू कैम्प थाना— फतेहपुर बेहरी जनपद—साऊथ (दिल्ली) में छिपकर रह रहा था।

अभियुक्त अयाज उर्फ एजाज का आपराधिक इतिहास:-

- 1— मु0अ0सं0 233/02 धारा 379 भा0द0वि0 थाना पंजाबी बाग,नई दिल्ली।
- 2— मु0अ0सं0 320/02 धारा 379 भा0द0वि0 थाना पंजाबी बाग, नई दिल्ली।
- 3— मु0अ0सं0 824/02 धारा 379 भा0द0वि0 थाना लाजपत नगर नगर,दिल्ली।
- 4— मु0अ0सं0 1333/02 धारा 394 भा0द0वि0 थाना नहतौर बिजनौर।
- 5— मु0अ0सं0 437/03 धारा 307 भा0द0वि0 थाना नूरपुर, बिजनौर।
- 6— मु0अ0सं0 439/03 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर, बिजनौर।
- 7— मु0अ0सं0 निल/03 धारा 41/102 उ0प्र0सं0 व 411 भा0द0वि0 थाना नूरपुर बिजनौर।

8— मु0अ0सं0—03/2023 धारा 376/384/506 भा0द0वि0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0
एक्ट थाना नूरपुर बिजनौर।

9— मु0अ0सं0 115/05 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर, बिजनौर।

10— मु0अ0सं0:80/2023 धारा 174 ए भा0द0वि0 थाना नूरपुर बिजनौर।

गिरफ्तार अभियुक्त अयाज उर्फ एजाज को थाना नूरपुर जनपद बिजनौर में पंजीकृत मु0अ0सं0 03/2023 धारा 376/384/506 भा0द0वि0 व 3 (2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।
